डिक्री :— सोनाराम बनाम कानाराम व अन्य 49

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 18 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सोनाराम पुत्र ताजाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी पुनियों का तला पटवार क्षैत्र बूठ जैतमाल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर		1. कानाराम पुत्र शेराराम उम्र 56 वर्ष 2. खूमाराम पुत्र शेराराम उम्र 65 वर्ष 3. हीराराम पुत्र शेराराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी पुनियों का तला पटवार क्षेत्र बूठ जैतमाल तहसील धोरीमना 4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 49, 89(ख), 188 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते चकबन्दी (अदला— बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू 30/01/23

अधिवक्तागणः—

01. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादी
02. श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 03

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक 11/10/23

वाद का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद **अन्तर्गत धारा 49, 89(ख), 188 व 209 रा0का0अधि0 वास्ते चकबन्दी (अदला— बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन, स्थायी निषेधाज्ञा** पेश कर निवेदन हैं कि वादी की खातेदारी (कृषि भूमि) के खेत ग्राम पुनियों का तला पटवार क्षैत्र बूठ जैतमाल तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 406/5 क्षैत्रफल 4.6943 हेक्टेयर (रकबा 29—00 बीघा) किस्म बारानी सोयम, का आया हुआ है जो आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 खातेदारी (कृषि भूमि) के खेत ग्राम पुनियों का तला पटवार क्षैत्र बूठ जैतमाल तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 406/4 क्षैत्रफल 19.5868 हेक्टेयर (रकबा 121—00 बीघा) किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है जो आगे प्रतिवादी ... के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नम्बर 406 ... बटवारा से विभक्त होकर दो भागों में विभाजित हुए है खसरा नम्बर 406/5 क्षैत्रफल 4.6943 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested

11/10/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

29–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम वादी तथा खसरा नम्बर 406/4 क्षेत्रफल 19.5868 हेक्टेयर (रकबा 121–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड मे अलग–अलग भाग जारी हुऐ है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 406/4, 406/5 वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खसरों का विभाजन कर दिया जो टुकड़ों में हो गया था, तथा उपरोक्त खसरों में विभाजन करवाते समय गलती से आनन– फानन, बिना सीमाज्ञान, बिना मौका देखे विभाजन कर दिया जिसमें मौके के कब्जे काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया। वादी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 406/5 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 29–00 बीघा है। जिसकी तरमीम मौके व कब्जा काश्त अनुसार नहीं है। मौके अनुसार रकबे में 4–03 बीघा का अन्तर है। खसरा नम्बर 406/4 की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। जिसके बदले वादी उक्त खसरे के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 406/5 में से रकबा 4–03 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को दे रहा है जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कब्जा काश्त हैं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खसरा नम्बर 406/4 में समायोजित किया जाएं, अदला–बदली तथा सीमाएं परिवर्तन की जाए जो संलग्न परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल अनुसार है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 406/4 का राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 121–00 बीघा है। जिसकी तरमीम मौके व कब्जा काश्त अनुसार नहीं है। मौके अनुसार रकबे में 4–03 बीघा का अन्तर है। खसरा नम्बर 406/5 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कब्जा काश्त है। जिसके बदले प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उक्त खसरे के उत्तर–पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 406/4 में से रकबा 4–03 बीघा वादी को दिया जाना आवश्यक है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त हैं वादी के खसरा नम्बर 406/5 में समायोजित किया जाएं, अदला–बदली तथा सीमाएं परिवर्तन की जाए जो संलग्न परिशिष्ठ " अ" में बरंग हरा अनुसार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के आपस में ढाणियां, बेरे, पुरानी बाड़े, बाड़ों पर लगे पुराने पेड़–पौधो आदि परिवर्तन हो रहे हैं जिससे वादीग व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को बाड़ करने, सिचांई करने में असुविधा हो रही है तथा धन, समय, प्राकृतिक सौदर्य आदि व्यर्थ हो रहा है। सभी खसरों का रकबा समान, किस्म समान, बाजार मूल्य व डीएलसी समान, एक ही राजस्व ग्राम में स्थित है, इस प्रकार वादी की भूमि एक चक करने, सीमाएं परिवार्तन का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त वर्णित आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादी चकबन्दी (अदला– बदली), क्षेत्रफल व सीमा परिवर्तन करवाने के विधिक अधिकारी है। इसके साथ ही वादी अपने पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि उपरोक्त वर्णित चकबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested

11/10/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

(अदला– बदली), क्षेत्रफल व सीमाएं परिवर्तन में किसी प्रकार की दखंलदाजी नहीं करे और न ही वादी के हिस्से व बंट पर जबरन कब्जा करने से प्रतिवादीगण को पांबदित करवावें, जिसकी पूर्ति यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। बिनायदावा जब वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खातेदारी में अंकित हुई तब, अरसा 15 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 व 03 व उनके परिवार के सदस्यों ने वादी को भूमि से वंचित रखने के लिये बेचान, अवैध कब्जा करने की धमकियां दी गयी तब, प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की तब वादी को उनके कब्जे काश्त में बेदखल करने की कोशिश की गयी तब तब वादकारण बमुकाम ग्राम पुनियों का तला पटवार क्षेत्र बूठ जैतमाल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेंर में पैदा हुआ हैं तब वादीग को यह वाद लाना लाजमी हो गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि होने से भूतिपति तहसीलदार धोरीमना को प्रफोर्मा प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है जिससे कोई इस्तदुआ नहीं चाहने से धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी ग्राम पुनियों का तला पटवार क्षैत्र बूठ जैतमाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित है इसलिए हस्तगत वाद श्रीमानजी के श्रवण व क्षैत्राधिकार में है। यह वाद अन्तर्गत धारा 49, 89ख, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस 4/–रूपये के स्टाम्प पेश है। और यह वाद अन्दर म्याद पेश है। अनुतोषः अतः वादी की इस्तदुआ है कि निम्नाकित डिकरी व निर्णय बहक वादी और प्रतिवादीगण के खिलाफ फरमायी जावें। क. पटवार मण्डल बूठ जैतमाल ग्राम पुनियों का तला में वादी के खेत खसरा नम्बर 406/5 क्षैत्रफल 4.6943 हेक्टेयर (रकबा 29–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम में से रकबा 4–03 बीघा परिशिष्ठ "अ" नक्शा में बरंग लाल के बदले प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के ग्राम पुनियों का तला के खसरा नम्बर 406/4 क्षैत्रफल 19.5868 हेक्टेयर (रकबा 121–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम में से रकबा 4–03 बीघा परिशिष्ठ "अ" नक्शा में बरंग हरा अनुसार चकबन्दी की जाए। ख. वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल बूठ जैतमाल ग्राम पुनियों का तला में वादी के खेत खसरा नम्बर 406/5 क्षैत्रफल 4.6943 हेक्टेयर (रकबा 29–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम में परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के ग्राम पुनियों का तला के खसरा नम्बर 406/4 क्षैत्रफल 19.5868 हेक्टेयर (रकबा 121–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम में परिशिष्ठ "अ" में बरंग हरा क्षेत्रफल व सीमाएं आपस में परिवर्तन व एक चक की जाएं तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण दर्ज किया जाएं। स. वाद चकबन्दी सीमा परिवर्तन के बाद वादी को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि किसी प्रकार की दखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested

11/10/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

अन्दाजी व हस्तक्षेप, बाधा व परिवर्तन नहीं करें, तथा वादी को अपने कब्जे काश्त की भूमि तक आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें राजस्व व मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, जिस हेतु प्रतिवादीगण उनके परिवार के सदस्य व प्रतिनिधि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंदित किया जावें। द. अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादी के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 रा0का0 अधि0, सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादीग इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनते हो वो दिलवाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 नोटिस से तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 से 03 मय वकील जबाब प्रतिवादी सख्या 01 से 03 कानाराम, खूमाराम, हीराराम पि0 शेराराम उम्र क्रमशः 56,65,50 वर्ष जाति जाट निवासी पुनियों का तला पटवार क्षैत्र बूठ जैतमाल तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर वालों की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का बिन्दुवार जबाब मय राजीनामा निम्न अनुसार पेश किया वाद पत्र के पद संख्या 01 रिकॉर्ड मजुब होने से सही व स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 02 रिकॉर्ड मजुब होने से सही व स्वीकार है। वाद पत्र के पद सख्या 03 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 04 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 05 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 06 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 07 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 08 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पद संख्या 09 आंशिक स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा कभी वादी को बेदखल करने की धमकिया नही दी हैं यह बात गलत व मनगढ़त अंकित की है। वाद पत्र के पद संख्या 10 कानूनी है। वाद पत्र के पद संख्या 11 कानूनी है। वाद पत्र के पद संख्या 12 कानूनी है। वाद पत्र के पद संख्या 13 के उप पदवार जबाब निम्न प्रकार से है क. वाद पत्र के पद संख्या 13 क सही होने से स्वीकार हैख. वाद पत्र के पद संख्या 13 ख सही होने से स्वीकार है। स. वाद पत्र के पद संख्या 13 स सही होने से स्वीकार है। द. वाद पत्र के पद संख्या 13 द सही होने से स्वीकार है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का जबाब रेकर्ड पर लेकर वादी के वाद पत्र के अनुसार वाद स्वीकार किया जाता हैं तो प्रतिवादी संख्या 01 सें 03 तक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इसी अनुसार आपस में राजीनामा है जो शामिल मिसल किया।

अतः वादी का वाद व प्रतिवादी का जवाब में तकरार व विरोधाभाषी नहीं होने के कारण पत्रावली में तनकी कायम नहीं कर [illegible] तय की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested

11/10/23
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य वादी के दौरान जमाबन्दी ग्राम पुनियों का तला के खाता संख्या 127 प्रदर्श पी–01, ग्राम पुनियों का तला के खसरा नक्शा एवम् जमाबन्दी (प्रतिलिपी) खसरा संख्या 406/5 प्रदर्श पी–02. जबामन्दी ग्राम पुनियों का तला के खाता संख्या 18 प्रदर्श पी–03, ग्राम पुनियों का तला के खसरा नक्शा एवम् जमाबन्दी (प्रतिलिपी) खसरा संख्या 406/4 प्रदर्श पी–04 , परिशिष्ठ "अ" प्रदर्श पी– 05 . वादी की तरफ से अंकित किया गया। साक्ष्य वादी के दौरान वादी सोनाराम के साक्ष्य शपथ पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू 01, ... के साक्ष्य शपथ पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू 02 अंकित किया गया। जो सामिल मिसल किया गया।

पत्रावाली प्रतिवादी साक्ष्य में साक्ष्य शपथ पत्र कानाराम प्रदर्श डी0 डब्ल्यू 01 अंकित किया गया जो सामिल मिसल किया गया।

उभयपक्षों के साक्ष्य के बाद पत्रावली बहस में नियत की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं वादी व प्रतिवादीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। हमने प्रदर्श राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम पुनियों का तला के खाता संख्या 127 प्रदर्श पी–01, ग्राम पुनियों का तला के खसरा नक्शा एवम् जमाबन्दी (प्रतिलिपी) खसरा संख्या 406/5 प्रदर्श पी–02. जबामन्दी ग्राम पुनियों का तला के खाता संख्या 18 प्रदर्श पी–03, ग्राम पुनियों का तला के खसरा नक्शा एवम् जमाबन्दी (प्रतिलिपी) खसरा संख्या 406/4 प्रदर्श पी–04 , परिशिष्ठ "अ" प्रदर्श पी– 05 . प्रदर्श पी डब्ल्यू 01, प्रदर्श पी डब्ल्यू 02 तथा प्रदर्श डी0 डब्ल्यू 01 का अध्ययन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी में वाद पत्र में संलग्न परिशिष्ठ "अ"' प्रदर्श पी– 5 अनुसार ग्राम पुनियों का तला के खेत खसरा संख्या 406/4, 406/5 वादी का लाल व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हरा अनुसार तरमीम दुरूस्त, अदला बदली **किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।**

—: : <u>आदेश</u> : :—

अतः वादी की इस्तदुआ स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी की खातेदारी (कृषि भूमि) के खेत ग्राम पुनियों का तला [illegible] बूठ जैतमाल तहसील धोरीमना के खेत खसरा नम्बर 406/5 [illegible] कुल [illegible]43 हेक्टेयर (रकबा 29–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 खातेदारी (कृषि भूमि) के खेत ग्राम पुनियों का तला पटवार क्षैत्र बूठ [illegible]तमाल तहसील धोरीमना के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested

11/10/23
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 406/4 क्षैत्रफल 19.5868 हेक्टेयर (रकबा 121–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम में वाद पत्र में संलग्न परिशिष्ठ "अ" प्रदर्श पी– 5 अनुसार ग्राम पुनियों का तला के खेत खसरा संख्या 406/4, 406/5 वादी का लाल व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हरा अनुसार तरमीम दुरूस्त, अदला बदली **राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धोरीमना को राजस्व अभिलेख में वाद पत्र में संलग्न परिशिष्ठ "अ" प्रदर्श पी– 5 में वादी का बरंग लाल व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का बरंग हरा ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिकरी की पालना करें।** पत्रावली संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

11/10/23

(लाखाराम)RAS
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना

निर्णय आज दिनांक 11/10/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

11/10/23

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner